

7-5-78 आज 2-0-1980 के लिए

जनरल ल. दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16-7-78 को चेक के

3

राजस्थान लोक अदालत का

न्याय आचरक द्वारा 201

श्रीम गोपाल

18-5-78

पञ्जाबी राजस्थान लोक अदालत द्वारा  
कोई खेतीबाड़ी में पैसा नहीं दिया। कृषकों को  
1 राजगोपाल से पैसा नहीं दिया।  
पार्सी का मुल बाद खारिज किया  
जा चुका है। मुल बाद खारिज होने के  
दरम्यान इस पार्सी का पार्सिया - पत्र भेजा है  
निचे इसका भी खारिज कर दिया जा रहा है।  
उक्त मुल के मुल से मुल होकर लब्ध  
है उसमें राजगोपाल खारिज कर दिया गया  
माफ़रके कि मुल बाद में खारिज हो  
निर्णय राजस्थान लोक अदालत के लिए है।  
खेतीबाड़ी के मामले को न ही खारिज करा  
जाकर खारिज करा जाय।



राजस्थान लोक अदालत  
जयपुर